राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2833/2025

पुष्पा कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर माध्यमिक शिक्षा तोपदडा, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.05.2025
आदेश की दिनांक : 06.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुभाष बिसावा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजस्थान शहीद हवलदार देबी खान कायमखानी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोमलपुर, अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधियाना जिला नागौर में 180 कि.मी. किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकम्पा नियमों के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.02.2019 के द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 29.06.2024 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाकर वर्तमान स्थान पर पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी के

पद पर पदोन्नति दी गई थी (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग संख्या 2 के समक्ष दिनांक 21.04.2025 एवं दिनांक 23.04.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 25.04.2025 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, श्रीमान शिक्षा मंत्री राज0 सरकार, श्रीमान शिक्षा सचिव एवं श्रीमान् संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर को प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–4 से 6)। जिन पर आदिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के सास–ससुर, 80 व 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जो हृदय रोग से पीड़ित है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.04.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के

लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य